

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

बनाम


मु. सं.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम पावटा तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खाता सं. 353 के खसरा नम्बर 1831, 1832, 1865, 1867, 1907, 1914, 1916, 20, 21, 22, 450 कुल किता 11 कुल रकबा 3.80 हैक्टर में प्रार्थी के कब्जा काशत में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल बाद संलग्न रहे। दोनों पत्रावलियों में निर्णय की पृथक-पृथक प्रति संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा
महवा जिला दौसा